

प्रेषक,

शकील उर रहमान खॉ,
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-8,
आजमगढ़।

सेवा में,

श्री एस.एस. गौतम,
उपनिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा- श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
आजमगढ़।

विषय- पत्रांक संख्या 17291/IV-2877/Admin(A)/Dated 11.12.2014 के द्वारा
जनपद पीलीभीत में कृषि योग्य भूमि खरीदने के संव्यवहार पूर्ण
होने के पश्चात माननीय न्यायालय को प्रेषित सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

विनम्रतापूर्वक अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद के पत्रांक संख्या 17291/IV-2877/Admin(A)/Dated 11.12.2014
के द्वारा मुझे अपने गृह जनपद पीलीभीत में श्री सुबेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरबंश
सिंह से उनकी भूमिधरी खाता संख्या-297 गाटा संख्या-7 रकबा 2.535 हे०
स्थित ग्राम टांडा सूरत, परगना व तहसील पूरनपुर, जिला पीलीभीत में से
1.25 हे० अर्थात् 03 एकड़ कृषि योग्य भूमि मु० 21,50,000/- रुपये में कय
करने की अनुमति माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान की गयी थी, जिसके
फलस्वरूप दिनांक 26.12.2014 को उक्त संव्यवहार में बैनामा निष्पादित हो
चुका है। बैनामे की प्रति संलग्न है (संलग्नक-1)।

सम्पूर्ण संव्यवहार का विवरण निम्नलिखित प्रकार है:-

भुगतान की गयी धनराशि का विवरण :-

1.	विक्रेता को किया गया अग्रिम भुगतान	रु० 1,00,000/-
2.	विक्रेता को बैनामे के समय चेक से किया गया भुगतान (खाता संख्या 11202681794 में चेक सं०-311167 के माध्यम से दिनांक 26.12.2014 को)	रु० 20,50,000/- रु० 21,50,000/-
3.	बैनामे में लगाया गया स्टाम्प	रु० 1,09,500/-
4.	निबन्धन शुल्क	रु० 20,020/-
5.	उजरत किताबत	रु० 2,000/-
		रु० 1,21,520/-
	कुल खर्च का योग	रु० 22,71,520/-

समस्त भुगतान मेरे बचत खाता संख्या 11202681794 से



निम्नलिखित प्रकार से आहरित कर किया गया :-

1.	दिनांक 09.10.2014 को आहरित	रु० 50,000/
2.	दिनांक 10.10.2014 को आहरित	रु० 50,000/
3.	दिनांक 23.12.2014 को आहरित	रु० 1,50,000/
	दिनांक 26.12.2014 को चेक	रु० 20,50,000/
	संख्या-311167 से भुगतान	
	योग	रु० 23,00,000/

इस प्रकार मेरे द्वारा अपने बचत खाता संख्या 11202681794 से उपरोक्त विवरण के अनुसार 23,00,000/ रुपये आहरित कर उसमें से सम्पूर्ण संव्यवहार पर 22,71,520/ रुपये खर्च किये गये। सम्पूर्ण विवरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु श्रीमान् जी की सेवा में प्रेषित किया जा रहा है।

सादर,

दिनांक 10.2.15

भवदीय,

(शकील अहमद रहमान खॉं)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-8,
आजमगढ़।

संलग्नक-

1. बैनामा की छाया प्रति
2. चेक की छाया प्रति,
3. बैंक स्टेटमेंट की छाया प्रति,
4. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त अनुमति के सम्बन्ध में पत्रांक संख्या 17291/IV-2877/Admin(A)/Dated 11.12.2014 की छाया प्रति।

Office of the District Judge, Azamgarh

Letter No 305/F Date.....11.2.2015

Forwarded for information and necessary action

District Judge
Azamgarh 11/2/15